फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–लक्ष्मण व अन्य | प्रतिवादी–राधाकिशन व अन्य

केस संख्या : 225/2016 | वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.05.2017	:–निर्णयः– आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उप0। वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादीगण खसरा नंबर 207 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा ग्राम खिजूरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी वादी की आराजी के पडौसी है, इस कारण प्रतिवादी जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि यदि वादी प्रतिवादी की पट्टाशुदा भूमि जो प्रतिवादी ने क्रय की है, में कोई हस्तक्षेप नहीं करे तो प्रतिवादी को वादी के वाद को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रतिवादी की पट्टाशुदा भूमि जो प्रतिवादी ने क्रय की है, में कोई हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबंद किये जाने पर वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। न्यायहित में वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 207 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा ग्राम खिजूरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, कब्जा ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। वादीगण को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रतिवादी की पट्टाशुदा भूमि के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, कब्जा ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट झाडला में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

लक्ष्मण व अन्य

बनाम

राधाकिशन व अन्य

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 225/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 207 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा ग्राम खिजूरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, कब्जा ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। वादीगण को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रतिवादी की पट्टाशुदा भूमि के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, कब्जा ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

निज.................मुबलिग ....बाबत......................................खर्चा इस मुकदमें के नय सूद बशरह...फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.05.2017 को जारी की गई।

दस्तखत................

मुहर

ओहदा..................

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	nil		फीस कमीश्नर	nil	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)